प्रेसनोट

दिनांक: 30.10.2026

जनपद मऊ।

पीईटी(PET) परीक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया तथा सतर्क निगरानी हेतु आवश्यक दिशा -निर्देश दिया गया।

यूपी ट्रिपल एससी PET-2026 की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा जनपद मऊ के परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा परीक्षा केन्द्रो पर स्थापित कन्ट्रोल रूम/ सीसीटीवी रूम का निरीक्षण किया गया।

परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जनपद में निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों व मुख्य प्रवेश द्वारों एवं आसपास के क्षेत्रों में पर पर्याप्त पुरूष / महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा प्रत्येक केंद्र के आसपास सतर्क निगरानी रखी जा रही है। भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा अव्यवस्था पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों, पेपर लीक या ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए साइबर पुलिस टीम व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि भ्रामक या फर्जी खबरें फैलाने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सके।

जनपद मऊ पुलिस सभी परीक्षार्थियों से अपील करती है कि वे शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखें तथा परीक्षा को निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

13.370 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 1 लाख 40,000/- रुपये) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद-

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन महोदय के द्वारा चलाये गये विशेष चेकिंग अभियान आदेश के क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के सघन पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार व मुहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व दिनांक 30.1002026 को थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान रामघाट बंधा मोड़ के पास से मु0अ0सं0-370/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त कार्तिकेय तिवारी पुत्र प्रभाकर तिवारी, निवासी भदुली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

घटना का विवरण- रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान रामघाट बंधा मोड़ के पास से एक अभियुक्त कार्तिकेय तिवारी पुत्र प्रभाकर तिवारी, निवासी भदुली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 13.370 किलोग्राम अवैध गांजा, एक अदद ओप्पो टच स्क्रीन मोबाइल फोन एवं 400 रुपये नकद बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थ की तस्करी में प्रयुक्त एक अदद चार पहिया वाहन Alto K-10, रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 50 AP 3330 को भी बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-370/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

1. कार्तिकेय तिवारी पुत्र प्रभाकर तिवारी, निवासी भदुली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृतत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0-370/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी :

- कुल 13.370 किलोग्राम अवैध गांजा।
- एक अदद चार पहिया वाहन Alto K-10, रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 50 AP 3330।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 30.10.2026, समय 12:05 बजे स्थान- रामघाट बंधा मोड़ के पास

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा महिलाओं बलिकाओं एवं छात्राओं को किया जा रहा जागरुक, पंपलेट वितरित कर दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी -

नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान।""""

मिशन शक्ति 6.0 के चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों स्कूलों कालेजों एव गांवो में जाकर आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पम्पलेट वितरित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, महिला उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, बालिकाओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी, बाल अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों तथा पुलिस सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 44,500/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-30.10.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0 221/2021 धारा 376D, 341,354,504, 506 भादवि0 व 5छ/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्तगण क्रमशः 1. मदन कुमार पुत्र उपेंद्र राम 2. सुमित कुमार पुत्र राम अवध राम निवासी चोरपाकला थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एएसजे/पाक्सो प्रथम कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 44,500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

अवैध पटाखों का भंडारण कर बेचने वाले, 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 अदद छोटी-बड़ी बोरी व 04 अदद छोटा-बड़ा कार्टून में अवैध पटाखा (जिसकी अनुमानित कीमत– 1,75,000/- रूपये) बरामद।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.10.2026 को मुखबिर की खास सूचना पर अवैध पटाखा के भण्डारण के सम्बन्ध में थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम पहसा में अभियुक्त यशवंत सिंह पुत्र स्व0 बांके बहादुर सिंह निवासी ग्राम पसहा थाना हलधरपुर जनपद मऊ, उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद छोटी-बड़ी बोरी अवैध पटाखे व 04 अदद छोटा-बड़ा कार्टून अवैध पटाखे (जिसकी अनुमानित कीमत – 1,75,000/- रूपये) बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हलधरपुर पर मु0अ0सं0 229/26 धारा: 288 बीएनएस (BNS) एवं 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 229/26 धारा: 288 बीएनएस (BNS) एवं 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

यशवन्त सिंह पुत्र स्व0 बांके बिहारी सिंह, निवासी ग्राम पहसा, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ उम्र: करीब 42 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 30.10.2026 समय 17.30 बजे

स्थान – ग्राम पहसा थाना हलधरपुर।

बरामदगी का विवरण

04 अदद छोटी-बड़ी बोरी अवैध पटाखे
04 अदद छोटा-बड़ा कार्टून अवैध पटाखे
अनुमानित कीमत – 1,75,000/- रूपये (एक लाख पचहत्तर रूपये)।